न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 37/2022(2022/141)

1. धीरज पुत्र मेवालाल जाति बलाई।
2. मनोज पुत्र मेवालाल जाति बलाई।
3. राजेन्द पुत्र मेवालाल जाति बनाई।
4. हरि पुत्र मुकना जाति बलाई।
5. हीरा पत्नी सूरजसिंह जाति बलाई।

समस्त निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. प्रवीण चन्द पुत्र राजमल जाति महाजन निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. भंवर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत।
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत।
4. विजय बहादुर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत।
5. गिरधर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत।
6. रणजीत सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत।
7. नोनन्द कंवर पुत्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत।
8. गोपाल पुत्र छगना जाति रेगर।
9. गोपाल पुत्र छगना जाति रेगर।
10. घीसालाल पुत्र छगना जाति रेगर।
11. मनभर पुत्री छगना जाति रेगर।
12. राजू पुत्र छगना जाति रेगर।
13. समोदरा पुत्री छगना जाति रेगर।
14. सीता पुत्री छगना जाति रेगर।

निवासीगण ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री लेन्सी झंवर
अप्रार्थी संख्या 2 से 7 वकील— भारती पोपटानी

आदेश

दिनांक 20.5.2022

पत्रावली न्यायालय मे पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
1361—1255	52/5054 56 795/5049	0.57 0.57 0.81	नहरी 2 नहरी 2 नहरी 2
	कुल किता 3	कुल रकबा 1.95	

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है । वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की आराजी है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है । प्रार्थीगण की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त मे लडाई झगडे होते है तथा उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का दावा करना लाजमी आया है । प्रार्थी उपरोक्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके। ताकि आये दिन प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से विवाद नहीं करना पडे एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियो मे उलझना नही पडे, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी दिनांक 02.12.2021 को आराजीयात मे आवश्यक कार्य करने गये तो पडोसियों ने सीमा चिन्ह नहीं होने से धमकी दी पेरा नं० 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है । व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 वादीगण की आराजीयात का पडौसी खातेदार काश्तकार है। वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है व मौके पर वादीगण संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है व उपज प्राप्त करते चले आ रहे है । तथा फसल काश्त करते समय प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच मौके पर सीमा चिन्ह नही होने से सीमा बाबत विवाद होता रहता है तथा उपज प्राप्त करते समय लडाई झगडा होने की संभावना रहती है । प्रार्थीगण के अपने हिस्से की आराजीयात पर अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से कब्जा करने व फसल काश्त करने पर उतारू हो जाते है व मना करने पर लडाई झगडा करते है । उक्त कारण से वादीगण की आराजीयात के स्थायी सीमाज्ञान (पत्थरगढी) करवाया जाना आवश्यक हो गया है जिससे भविष्य मे किसी प्रकार से आराजीयात के सीमा के बाबत विवाद पैदा न हो । जिससे स्थायी सीमाज्ञान (पत्थरगढी) करवाया जाना आवश्यक हो गया है । अप्रार्थी संख्या 15 वाद वर्णित आराजीयात के लेण्ड लोर्ड है व आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान (पत्थरगढी) करते है जिसको उक्त प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी बनाया गया है प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 10.03.2022 को प्रार्थीगण द्वारा फसल काटते समय अप्रार्थीगणं न आराजीयात की सीमा बाबत लडाई झगडा किया तब उत्पन्न हुआ व अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है । अतः प्रार्थना है स्थाई पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 की ओर से कोई आपत्ति न होना बताया तथा शेष अप्रार्थीगण संख्या 1 व 8 लगायत 15 की ओर बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एक्सपार्टी कि गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 1361–1255 के खसरा नंबर 52/5054, 56, 795/5049 रकबा 0.57, 0.57, 0.81हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner